

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा - 6(1) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र :-

1946

original RTI application has yet not received in the office CPIDNRI on mail received. Now the applicant has sent form RTI with the same contents. Therefore this has been rejected.  
 (Handwritten signature)  
 07/01/2020

सेवा में,

श्रीमान जनसूचना अधिकारी / महाप्रबन्धक  
 पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (भारत सरकार का उपक्रम) 765/400/200 के.वी. उपकेन्द्र  
 रूडकी रोड, मल्लौर (दिल्ली) पिन - 250221

1. सूचना के लिये अनुरोध करने वाले व्यक्ति का नाम :

शिवकुमार s/o महाराज सिंह  
 निवासी - गौहरा आलम गौर पुर,  
 जिला - हापुड (उ.प्र.)  
 मो. - 9805054503  
 Email - shivsa173@gmail.com

2. क्या भारत का नागरिक है?

हाँ

3. चाही गयी सूचना:

1. आपके कार्यालय के दस्तावेजों के अनुसार पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० द्वारा टावर संख्या - CHP-KSR 3029 पोल-I location No. 114/1, राजस्त ग्राम गौहरा आलमगौरपुर, तहसील व जिला हापुड के खाता संख्या 584 के खसरा सं० 347 में निर्मित/रिश्त टावर पोल का फसल क्षति का कितना मुआवजा दिया गया है?

2. उक्त टावर/पोल के प्रतिकार प्राप्त करने अथवा कराने में पूर्ण प्रकरण के जांच अधिकारी का नाम, पता व पद प्रदान करने की कृपा करें। अथवा जिस व्यक्ति ने प्रतिकार का अधिनियम तय किया है उस जांच अधिकारी का नाम व पता व पद प्रदान करने की कृपा करें।